

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

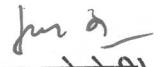
क्रमांक:- एफ.3 (ख) (ओ-166/92)/अलेसे-11/ 79

दिनांक :- 03/06/20

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 1253 दिनांक 11.03.2020 के द्वारा श्री ओमप्रकाश जांगू, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंग नं. 3751) कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, श्रीगंगानगर के दिनांक 30.04.2020 को अधिवार्षिकी सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किए गए थे। उक्त आदेशों की पालना में श्री जांगू दिनांक 30.04.2020 को सेवानिवृत्त हो गये। श्री जांगू के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।


(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (ओ-166/92)/अलेसे-11/ 79

दिनांक :- 03/06/20

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, श्रीगंगानगर।
2. श्री ओमप्रकाश जांगू, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (सेवानिवृत्त) मार्फत कार्यालय- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, श्रीगंगानगर।
3. रक्षित पत्रावली।


(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)